न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 17/2020 दिनांकः– 13.02.2020

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. हरि पुत्र मवासी जाटव निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम। (मृतक)
   1/1 सरोज पत्नि हरि उर्फ हरिप्रसाद
   1/2 सचिन पुत्र हरि उर्फ हरिप्रसाद
   1/3 मनीषा हरि उर्फ हरिप्रसाद
   1/4 सुरेन्द्र पुत्र हरि उर्फ हरिप्रसाद
   समस्त जाति जाटव निवासीयान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम।

(वादीगण)

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र मनोहरी
2. जितेन्द्र पुत्र मनोहरी
3. बदन पुत्र मनोहरी
4. गिर्राजी पत्नि मनोहरी
   जातियान जाटव निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम।
5. उर्मिला पुत्री मनोहरी पत्नि विष्णु जाटव निवासी हिण्डौन जिला करौली।
6. फूल कुमारी पुत्री मनोहरी पत्नि मुनेश जाटव निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम।
7. बत्तीलाल पुत्र परभाती उर्फ प्रसादी जाटव
8. श्यामलाल पुत्र परभाती उर्फ प्रसादी जाटव
   समस्त जाति जाटव निवासी महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. कन्ना पुत्र मिश्रा मीना
10. भगवान पुत्र मिश्रा मीना
11. गुमान पुत्र मिश्रा मीना
12. सवाई पुत्र मिश्रा मीना
13. नहनी बेवा मिश्रा मीना
    निवासीयान 9 बिस्वा टोडाभीम जिला करौली।
14. मनोहरी पुत्र मूल्या मीना निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम जिला करौली।
15. तहसीलदार टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 1 ता 8

दिनांकः– 20/08/2025

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम त्रिशूल की आराजी ख0न0 720/978/0.29, 729/0.36, कुल किता 2 कुल र[illegible] 0.65 हे0 पर वादी एवं प्रतिवादीगण न0 1 ता 14 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिसमे वादी जमाबन्दी मे हिस्सा 1/3 का खातेदार है। तथा प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ख0न0 812/0.36 है0 वादी 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम महेन्द्रवाडा के ख0न0 732/0.33 है0 मे वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 8 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसमे वादी 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। मृतक मिश्रा पुत्र मूल्या निवासी 9 बिस्वा फौत हो चुका है उसे विधिक जीवित वारिस उसके चार पुत्र कन्ना, भगवान, गुमान, सवाई पुत्र मिश्रा व उसकी पत्नि नहनी बेवा मिश्रा मीना है जो मृतक मिश्रा के तर्के पर कायम है। वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 14 की शामलाती आराजी है जिसका राजस्व रिकार्ड मे विधिवत बटवारा नही हुआ है परन्तु आपसी सहमति से लम्बे समय से काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चौसाला मे वादी बहैसियत खातेदार दर्ज है। वर्णित आराजीया तमे वादी के बट मे आयी आराजी मे प्रतिवादीगण आने–जाने मे रूकावट पैदा कर सकते है इस प्रकार प्रतिवादीगण 1 ता 14 वादी के हिस्से मे आई आराजी से महरूम करे पर तुले हुए है एवं भूमि मे डोल मेड को लेकर आये दिन वादी एवं प्रतिवादीगणो के मध्य झगडा होता रहता है।

बाका दिनांक 10.02.2020 को वादी एंव उसकी पत्नि व उसके वच्चे अपने कब्जे काश्त की आराजी पर बाके ग्राम महेन्द्रवाडा व त्रिशूल मे अपने खेतो की निगरानी करने गये तो प्रतिवादी न0 1 ता 3 व 9 ता 12 आये और बोले यह आराजी हमारी आराजी है हम ही इस पर काश्त करेगे तथा तुमको तुम्हारे बट मे आई आराजी का बट नही देगे। तुम्हारा इस आराजी से कोई संबध नही है और तुमसे उक्त आराजी को छीन कर ही रहेगे। उपरोक्त बात सुनकर वादी एवं वादी कीपत्नि ने हाथ जोडकर कहा आपने इस आराजीयात से हमको बेदखल किया तो हम भूखे मर जायेगे। तो उन्होने साफ मना कर दिया। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त बेजा हरकतो मे सफल हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है इसलिये यह दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण 1 ता 14 बावत तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण वर्णित आराजीयात ग्राम महेन्द्रवाडा के ख0न0 720/978/0.29, 729/0.36 कुल किता 2 कुल रकवा 0.65 है0, ग्राम त्रिशूल की आराजी ख0न0 732/0.33, 812/0.36 की प्रिमिलिनरी डिक्री बहक वादी वारित की जाकर किसी सक्षम अधिकारी को कमिश्नर तकास्मा नियुक्त कर मौके पर वादी का तकास्मा कराया जावे। बाद मौका कमिश्नर वादी के हिस्से मे आयी ग्राम महेन्द्रवाडा 0.12 है0 व त्रिशूल मे आई 0.40 है0 कुल भूमि 0.52 है0 का अलग लगान कायम कर फाईनल डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से मे आई भूमि शांति पूर्वक काश्त करने देवे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 8 ने जरिये वकालतन काउन्टर क्लेम जबाब पेश किया कि ग्राम त्रिशूल की आराजी ख0न0 720/978/0.29, 729/0.36 कुल किता 2 कुल रकवा 0.65 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 5 प्रत्येक 1/18–1/18 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे वादी एवं दीगर सहखातेदारान दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 812 रकवा 0.36 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/12–1/12 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से मे वादी एवं दीगर सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम महेन्द्रवाडा की आराजी ख0न0 732/0.33 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्से के प्रतिवादी न0 7 व 8 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार [illegible] है शेष हिस्से मे वादी के हक मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी[illegible] का मौके [illegible] बाहमी [illegible]टवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत बटवारा नही हुआ है इसलिये भूमि मे हर [illegible] आये दिन डोल मेड पर विवाद होता रहता है इसलिये प्रतिवादी न0 1 ता 8 को वादी [illegible] दीगर प्रतिवादीगण के साथ सम्मिलित काश्त करना दुभर हो गया है इसलिये भूमि मे प्रतिव[illegible] न0 1 ता 8 का अपने–अपने हिस्सानुसार व कब्जाकाश्त अनुसार विधिवत तकास्मा कराया जाना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी न0 1 ता 3 व 5, 6 का ख0न0 720/978/0.29, 729/0.36 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 5 प्रत्येक 1/18–1/18 का, ख0न0 812 रकबा 0.36 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/12–1/12 ख0न0 732/0.33 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्से के प्रतिवादी न0 7 व 8 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्से की प्रलिमिनरी डिक्री पारित की जाकर सक्षम अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट मुताबिक हिस्सा व मुताबिक कब्जा बटवारा स्कीम तलब की जाकर बाद जॉच फाईनल डिक्री किया जावे।

वादपत्र मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:–

1. तनकी न0 1:– आया यह है कि वादी ख0न0 720/978/0.29 व 729/0.29 ग्राम त्रिशूल मे वादी 1/3 हिस्से का तथा ख0न0 812/0.36 है0 ग्राम महेन्द्रवाडा मे वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। (जिम्मेवादी)
2. तनकी न0 2:– आया यह है कि वादी अपने–अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार बटवारा कराने के हकदार है। (जिम्मेवादी)
3. तनकी न0 3 :– आया यह है कि प्रतिवादीगण 720/978/0.29 व 729/0.29 ग्राम त्रिशूल मे वादी 1/3 हिस्से का तथा ख0न0 812/0.36 है0 ग्राम महेन्द्रवाडा मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)
4. तनकी न0 4:– आया यह है कि समस्त प्रतिवादी व अपने–अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार बटवारा कराने के हकदार है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादी ने वादपत्र के समर्थन मे ग्राम त्रिशूल की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2, ग्राम महेन्द्रवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 प्रदर्श–3 व स्वंय का शपथ पत्र पेश किया। तथा प्रतिवादीगण वकील ने काउन्टर क्लेम के समर्थन मे प्रतिवादी न0 1 राजेन्द्र का शपथ पत्र पेश किया जिससे वादी वकील ने जिरह पूर्ण की।

वादी वकील को दिनांक 05.05.2025 को न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 8 के वकील की काउन्टर क्लेम जबाब पर बहस सुनी गई।

प्रतिवादी न0 1 ता 8 के वकील ने जबाब काउन्टर क्लेम मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रतिवादी न0 1 ता 3 व 5, 6 का ख0न0 720/978/0.29, 729/0.36 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/18–1/18 के तथा वादीगण के पूर्वज हरी 1/3 हिस्से के, तथा प्रतिवादी न0 11 ता 13 के पिता 1/6 के, तथा प्रतिवादी न0 14 हिस्सा 1/6 के, ख0न0 812 रकबा 0.36 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/12–1/12 के तथा वादीगण के पूर्वज हरि 1/2 हिस्से के खातेदार कातश्कार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम महेन्द्रवाडा की जमाबन्दी सम्वतख0न0 732/0.33 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्से के प्रतिवादी न0 7 व 8 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत बटवारा नही हुआ है इसलिये भूमि मे पक्षकारान के बीच आ[illegible] पर विवाद होता रहता है इसलिये प्रतिवादीगण 1 ता 8 की प्रलि[illegible] डिक्री पा[illegible] की [illegible]कर सक्षम अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाद जॉच रिपोर्ट [illegible] बटवारा स्कीम तलब की जाकर बाद जॉच फाईनल डिक्री किया जाकर वादी [illegible] किया जावे कि वह प्रतिवादीगण के हिस्से मे आयी आरजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखल[illegible] नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादीगण एवं वादीवकील अनुपस्थित न्यायालय रहने से वादपत्र मे तनकीवार निर्णय की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रतिवादीगण न0 1 ता 8 के वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तोवेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम त्रिशूल की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे ख0न0 720/978/0.29, 729/0.36 कुल किता 2 कुल रकवा 0.65 है0 प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/18–1/18 के तथा वादीगण के पूर्वज हरी 1/3 हिस्से के, तथा प्रतिवादी न0 11 ता 13 के पिता 1/6 के, तथा प्रतिवादी न0 14 हिस्सा 1/6 के, ख0न0 812 रकवा 0.36 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/12–1/12 के तथा वादीगण के पूर्वज हरि 1/2 हिस्से के खातेदार कातश्कार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम महेन्द्रवाडा की जमाबन्दी सम्वतख0न0 732/0.33 है0 मे प्रतिवादी न0 1 ता 6 प्रत्येक 1/16–1/16 हिस्से के प्रतिवादी न0 7 व 8 प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा दावा बावत बटवारे का पेश किया है तथा प्रतिवादीगण की और से भी काउन्टर क्लेम बटवारे का पेश किया है। वादी का वादपत्र वादी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित न्यायालय रहने से खारिज किया जा चुका है, चुकि यह वादपत्र काउन्टर क्लेम के आधार पर निर्णित किया जा रहा है इसलिये प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया जाता है।

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम त्रिशूल एवं महेन्द्रवाडा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिकी किया जाता है।

ग्रामः– त्रिशूल

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	सरोज पत्नि हरी, सचिन सुरेन्द्र पि0 हरी, मनीषा पुत्री हरी हिस्सा बराबर जाति जाटव सा0 महेन्द्रवाडा खातेदार	729/1	0.12 है0
		720/978/1	0.09 है0
		812/1	0.18 है0
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.39 है0
2	राजेन्द्र जीतेन्द्र बदन पि0 मनोहरी, उर्मिला फूलकुमारी पुत्रियां मनोहरी हिस्सा बराबर जाति जाटव सा0 महेन्द्रवाडा खातेदार	729/2	0.12 है0
		720/978/2	0.10 है0
		812/2	0.18 है0
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.40 है0
3	काडूराम, महेश पि0 मनोहरी, प्रकाशी सियाबाई पुत्रियां मनोहरी, रामश्री पत्नि मनोहरी हिस्सा 1/2 बराबर जाति मीना सा0 टोडाभीम खातेदार, कन्नाराम, भगवानसहाय, गुमानसिंह, सवाईसिंह पि0 मिश्रा, प्रेमबाई, गुड्डी पुत्रियां मिश्रा हिस्सा 1/2 बराबर जाति मीना सा0 टोडाभीम खातेदार	729/3	0.12 है0
		720/978/3	0.10 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.22 है0

ग्रामः– महेन्द्रवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:35 IST
Reason: SelfAttested

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	सरोज पत्नि हरी, सचिन सुरेन्द्र पि0 हरी, मनीषा पुत्री हरी हिस्सा बराबर जाति जाटव सा0 महेन्द्रवाडा खातेदार	732/2	0.13 है0
2	राजेन्द्र जीतेन्द्र बदन पि0 मनोहरी, उर्मिला फूलकुमारी पुत्रियां मनोहरी हिस्सा बराबर जाति जाटव सा0 महेन्द्रवाडा खातेदार	732/3	0.12 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3	बत्तीलाल श्यामलाल पि0 परभाती हिस्सा बराबर जाति जाटव सा0 महेन्द्रवाडा खातेदार	732/1	0.08 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:35 IST
Reason: SelfAttested